कार्यालय जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर

कमांक प.12 (57) /भू.रू./शेक्षणिक/राजस्व/08/2768 दिनांक 28-7-2009

सम्परिवर्तन आदेश

श्रीमती चांद देवी रूरल डवलपमेन्ट एण्ड सोशल वेलफेयर सोसायटी ग्राम बौंली तहसील बौंली द्वारा सचिव श्री मनोज कुमार जैन पुत्र श्री राजमल जैन निवासी बौंली के आवेदन पर श्रीमती चांद देवी रूरल डवलपमेन्ट एण्ड सोशल वेलफेयर सोसायटी ग्राम बौंली तहसील बौंली द्वारा सचिव श्री मनोज कुमार जैन पुत्र श्री राजमल जैन निवासी बौंली की खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिये सम्परिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन राज्य सरकार के राजस्व(ग्रुप–9/भ.रू.)विभाग ,जयपुर द्वारा जारी स्वीकृति कमांक प.2(196)/राज/भू.रू./08 दिनांक 26.5.09 के अनुसरण में अकृषिक प्रयोजन के लिए इसके द्वारा सम्परिवर्तन किया जाता है। जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई है :–

1. आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम (पिता/पतीके नाम सहित तथा पूरा पता)	श्रीमती चांद देवी रूरल डवलपमेन्ट एण्ड सोशल वेलफेयर सोसायटी ग्राम बौंली तहसील बौंली द्वारा सचिव श्री मनोज कुमार जैन पुत्र श्री राजमल जैन निवासी बौंली
2. क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का सदस्य है ?	नहीं
3. संपरिवर्तन भूमि का ब्यौरा :– क. ग्राम, ग्राम पंचायत / तहसील का नाम खं. भूमि का खसरा नम्बर और प्रत्येक खसरा नम्बर का कुल क्षेत्रफल (हेक्टर में) ग. प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तन क्षैत्रफल (हैक्टर या वर्ग मीटर में)	ग्राम – रवासा ग्रा0पं0 बासटोरडा तहसील – बौंली खसरा नम्बर – 19/1 कुल रकबा 7 बीघा में से रकबा –7200 वर्ग मीटर खसरा 19/1 कुल रकबा 7 बीघा में से रकबा –7200 वर्ग मीटर
4. संपरिवर्तन का प्रयोजन	विधालय/महाविधालय प्रयोजनार्थ
5. संदेय प्रीमीयम की दर	10/–रूपये प्रति वर्गमीटर
6. चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा करायी गई प्रीमीयम क रकम	चालान नं. 83 दिनांक 26.8.08 से 18000/–रूपये मद 0029 भूराजस्व तथा चालान नं 84 दिनांक 26.8.08 से 18000/– रूपये मद पीडी खाता पंचायत समिति बौंली में दिनांक 26.8.08 को स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा बौंली में जमा कराई गई।
7. यदि कोई शास्ति राशि जमा कराई गई है, तो चालान की संख्या तथा तारीख मय शास्ति राशि	नहीं
8.यदि कोई ब्याज की राशि जमा कराई गई है तो चालान की संख्या तथा तारीख मय राशि	नहीं
9.क्या नियम 13 के अन्तर्गत नियमन आदेश जारी किया गया है।	–
10. अन्य विशिष्ठयॉ	संपरिवर्तित भूमि संलग्न ट्रेस में लाल स्याही की रेखाओं से दर्शायी गयी हैं।

11. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन होगा :–

1. उपर्युक्त अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा ।
2. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिए भूमि का उपयेग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जावेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमीयम धन समपहृत हो जायेगा ।
3. नियम 4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा
4. लोकोपयोगी प्रयोजन के संपरिवर्तन भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी से विधि मान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नही किया जायेगा ।

REV-N-2007

5.प्रचलित इंडियन रोड कॉंग्रेस के निर्धारित मापदण्ड के अनुसार संपरिवर्तित भूमि पर मार्गाधिकार छोड़कर ही निर्माण कार्य किया जा सकेगा।
6.निकटस्थ ग्राम पंचायत बासटोरडा की उप विधियों के अनुसार विधालय/महाविधालय आदि के भवनों का निर्माण कराना होगा ।
7. संपरिवर्तित भूमि पर निर्माण से पूर्व ले आउट प्लान व नक्शे का अनुमोदन राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9(2)के अन्तर्गत जिला स्तर पर गठित समिति से कराना होगा।
8. यदि प्रार्थी राष्ट्रीय राजमार्ग से विधालय/महाविधालय तक जाने के लिए रास्ता चाहते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी। यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित सड़कों से विधालय/महाविधालय तक जाने के लिए रास्ता चाहते हैं तो सा0 नि0विभाग से अनुमति लेनी होगी।
9.कुल संपरिवर्तित क्षेत्र का 40 प्रतिशत क्षेत्र सुविधाओं के लिए सुरक्षित रहेगा ,तथा पानी बिजली की आधारभूत सुविधाएॅ आवेदक को स्वयं के खर्चे पर उपलब्ध करानी होगी।

जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर
दिनांक 28-7-2009

कमांकप.12(57) भू0रू0/शेक्षणिक/राजस्व/08/ 2769-77

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है —

1. शासन उप सचिव राजस्व (भू0रू0)राजस्थान जयपुर ।
2. उपखण्ड अधिकारी, बौंली
3. तहसीलदार बौंली को मय नक्शा ट्रेस की छाया प्रति नियम 2007के नियम 12 के अनुसार कार्यवाही हेतु। (संलग्न ट्रेस छाया प्रति)
4. श्री मनोज कुमार जैन पुत्र श्री राजमल जैन निवासी बौंली सचिव संस्था श्रीमती चांद देवी रूरल डवलपमेन्ट एण्ड सोशल वेलफेयर सोसायटी ग्राम बौंली तहसील बौंली द्वारा (संलग्न ट्रेस छाया प्रति)
5. जिला राजस्व लेखा अनुभाग/न्याय अनुभाग
6. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बौंली
7. पटवारी हल्का बासटोरडा जरिए तहसीलदार बौंली
8. गार्ड फाईल

जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर